राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 663/2023

सुखदेवा राम —अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–1, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर झुन्झुनूं, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं।
4. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त गजराज, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है जिसमें अपीलार्थी पंचायत समिति, सूरजगढ़, झुन्झुनूं में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, सूरजगढ़, झुन्झुनूं से पंचायत समिति राजगढ़, चुरू 70 कि.मी. दूर किया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी का आदेश दिनांक 29.07.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्थानान्तरण पंचायत समिति राजगढ़, चुरू से पंचायत समिति पिलानी, झुन्झुनूं किया गया तथा अपीलार्थी का आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थानान्तरण पंचायत समिति पिलानी, झुन्झुनूं से पंचायत समिति, सूरजगढ़, झुन्झुनूं किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 5 महिनों में ही तीन बार किया जा चुका है। अपीलार्थी के वृद्ध माता–पिता है, जो अक्सर बीमार रहते है। अपीलार्थी के दो बच्चे है, जो अपीलार्थी के निवास स्थान पर अध्ययनरत है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आलौच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विद्वेषपूर्ण आशय से करने से निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर

ले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। आलौच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि एवं असंगतता नहीं है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। जबकि आलोच्य आदेश द्वारा उसी जिले में स्थानान्तरण किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)